राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(शोध अनुभाग)

क्रमांक : **RS/JRF-SRF/01/2024** दिनांक

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

विषयः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना (Public Notice) क्रमांक 1–1/2024/SA-I दिनांक 18.01.2024 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कर लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने Post–Doctral/Doctral Fellowship की बकाया छात्रवृत्ति के संबंध में दिनांक 18.01.2024 को उपरोक्त वर्णित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 16.10.2023 की सार्वजनिक सूचना क्रमांक F 21-1/2010 (PDFPPolicy /SA-III) के क्रम में दिनांक 01.01.2023 से Fellowship की संशोधित दरों के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है। [illegible] साथ ही उन्होंने सभी हितधारक (Stakeholders) उच्च शिक्षण संस्थानों से निवेदन किया है कि वे 31.12.2023 तक के सभी बकाया Fellowship /HRA/Contingency हेतु 8 फरवरी 2024 तक SFMP पोर्टल पर दावा प्रस्तुत कर देवें। उन्होने इस सूचना में निर्देशित किया है कि 8 फरवरी 2024 के बाद किसी प्रकार के बकाया दावों (31. 12.2023 तक के) को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अतः यदि किसी JRF/SRF धारित शोधार्थी का 31.12.2023 तक कोई बिल लंबित है तो वे अपने शोध निर्देशक के सत्यापन के बाद संबंधित विभाग से अग्रेषण करा दिनांक 05.02.2024 तक कार्यालय समय में शोध अनुभाग में प्रेषित करवा दें। इसके पश्चात आने वाले बिलों के निस्तारण की जवाबदेही शोध अनुभाग की नहीं रहेगी।

भवदीय

Sd-

(अरविन्द कुमार शर्मा)
उप कुलसचिव (शोध)

क्रमांक : **RS/JRF-SRF/01/2024**/2740 दिनांक: 01/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदया/कुलसचिव महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Kar

सहायक कुलसचिव (शोध)